फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःअठ्ठारह–एएसआई(लिपिक)271–22–(पार्ट–।।) दिनांकःलखनऊःमई 31,2023

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(26)–2023 दिनॉकः28.04.2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 107 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है जिसे **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है**। उपयुक्त पाये गये 107 कार्मिकों के सापेक्ष दिनॉकः30.04.2023 तक पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) की विद्यमान 100 रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांकः22.05.2023 को निर्गत किया जा चुका है। शेष बच रहे 07 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह मई 2023 से जून 2023 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जाना अपेक्षित है। माह मई–2023 में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 03 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप माह मई 2023 में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की 03 रिक्ति विद्यमान है, जिसके सापेक्ष अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के कमांक–104, 105 व 106 पर अंकित कर्मी को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	231	880820590	प्रमोद कुमार उपाध्याय	श्री दया शंकर उपाध्याय	09-07-68	VNS RANGE	2022
2	232	012650112	प्रवेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह	07-03-73	SP(R) SRR	2022
3	234	012710094	अजीत कुमार सिंह	सत्य नारायण सिंह	01-01-81	ABN	2022

2– पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/ इकाई /शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नक</u>: प्रारूप (क)

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।
5/5/23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2—अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3—अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी/लखनऊ जोन ।
4—पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी/अयोध्या परिक्षेत्र।
5—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
6—पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।

Scanned with OKEN Scanner